सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 4/2013 (2013/00047)

वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल
2. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रामेश्वर लाल
3. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर लाल

सभी जाति ब्राहमण निवासीयान आथूणा दरवाजा बाजार कुचामनसिटी ।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. धन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल
2. नोरतमल पुत्र चुन्नीलाल
3. नन्दलाल पुत्र चुन्नीलाल
4. मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल
5. रूगराज पुत्र चुन्नीलाल
6. देवराज पुत्र चुन्नीलाल
7. शिम्भुलाल पुत्र चुन्नीलाल
8. नर्बदा देवी पत्नी रामकिशन
9. नागरमल पुत्र रामकिशन
10. अशोक कुमार पुत्र रामकिशन
11. राकेश कुमार पुत्र रामकिशन

सभी जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी।

12. उपपंजीयक, कुचामनसिटी
13. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री श्यामसुन्दर चौधरी प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

निर्णय

दिनांक: 16/07/2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादीगण कस्बा कुचामनसिटी के तथा प्रतिवादी 1 ता 11 ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी के पुख्ता निवासी है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम राणासर की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं0 43 रकबा 19 बीघा 16 बीस्वा अल्मशहुर खेत उत्तरदा व गत खसरा नं0 86 रकबा 10 बीघा 2 बीस्वा व खसरा नं0 94 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा अल्मशहुर खेत अगुणा की भूमि स्थित रही है। नवीन भूप्रबन्धक कार्यवाही में गत खसरा नं0 43 के नवीन खसरा नं0 139 रकबा 3.21 है0 व गत खसरा नं0 86,94 के नवीन खसरा नं0 323 रकबा 1.72 है0, खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 706 रकबा 0.05 है0 अंकित हुये है।

उपर्युक्त भूमि के 1/4 हिस्स के खातेदार चुन्नीलाल जिनका स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 11 उत्तराधिकारी खातेदार है तथा 3/4 हिस्सा के खातेदार रामेश्वर लाल पुत्र मोहनलाल जी थे जिनका स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिसान पुत्र पुत्रीया व पत्नी ने अपने हक अधिकारों को विधिवत हक त्याग करने से 3/4 हिस्से के वादीगण बहिस्सेदार काबिज खातेदार कृषक है।

चुन्नीलाल के स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिसान ने रामेश्वरलाल जी ने काश्त की सुविधा हेतु सन 1981 में आपसी बंटवारा कर लिया था इस बंटवारा स्वरूप गावं के उत्तरादी तरफ स्थित खेत उत्तरादा में उपरोक्त 8.5 बीघा भूमि का 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण एक जगह ले लिया अर्थात उपर्युक्त भूमि कुल 5.54 है0 का 1/4 हिस्सा की 1.3850 है0 भूमि नवीन खसरा 139 में उत्तरी तरफ लेकर काबिज हो गये है। शेष खसरा नं0 139 की दक्षिणी तरफ की शेष 1.8250 है0 व खसरा नं0 223, 705, 706 की सम्पूर्ण भूमि रामेश्वरलाल जी के कब्जा व बंट में रही इसकी एक लिखावट भी चुन्नीलाल जी के पुत्रों द्वारा दिनांक 21.07.1981 को रामेश्वरलाल जी को लिख दी व अपने हस्ताक्षरों से निर्धारित कर दी थी। अर्थात दिनांक 21.07.1981 से गत खसरा नं0 43 के नवीन खसरा नं0 139 में उत्तरी तरफ की 1.3850 है0 भूमि प्रतिवादीगण 1 ता 11 के भौतिक कब्जा अधिकार में रही तथा खसरा नं0 139 की शेष 1.8250 है0 व खसरा नं0 223 रकबा 1.72 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण खसरा नं0 706 रकबा 0.05 है0 सम्पूर्ण यानि 4.1550 है0 सम्पूर्ण भूमि रामेश्वरलाल जी के आजीवन कब्जाकाश्त मे रही जो अब वादीगण के भौतिक कब्जाकाश्त में है।

चुंकी उपरोक्त बंटवारा करते समय गावं के अगुणा खेत सड़क मार्ग पर था इस सड़क मार्ग से पूर्वी व पश्चिमी तरफ की उपरोक्त खसरा नं0 223, 405, 706 की भूमि अवस्थित रही है। काश्त की सुरक्षा के खर्चे से डरते हुये चुन्नीलाल जी के वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 11 खसरा नं0 139 में अपना 1/4 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि एक जगह ले ली थी। वादीगण ने अपनी भूमि की सुरक्षार्थ खसरा नं0 705, 706 के पूर्वी तरफ व खसरा नं0 223 के पश्चिमी तरफ तारबंदी कर रखी है तथा खसरा नं0 705, 706 के पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी तरफ व खसरा नं0 223 के पूर्वी उत्तरी दक्षिणी तरफ डोल लगाकर काटे की तारबंदी कर रखी है।

वादीगण के पिता के स्वर्गवास बाद फौतगी नामान्तकरण वादीगण के नाम दर्ज होने पर उपर्युक्त भूमि 5.54 है0 अभी तक वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 11 के संयुक्त खाते में दर्ज है। जबकि विगत उपरोक्त बंटवारा अनुसार मौके पर प्रतिवादीगण व स्व0 रामेश्वरलाल जी काबिज रहे है। जिस पर अब वादीगण काबिज है। रिकार्ड की उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जानकारी होने पर वादीगण ने पूर्व किये गये बंट व कब्जा काश्त अनुसार खाता दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो इतने दिन आश्वासन देते रहे तथा अब भूमिया भूमाफियों को बहकावे में आकर इंकार करना शुरू कर दिया है तथा दिनांक 17.01.2013 को प्रतिवादीगण ने धमकी दे दी है कि वे खाता दुरूस्ती नहीं कराकर सम्मिलित खाते के अंकन के आधार पर खसरा विशेष का स्फेसिक पोंसन दर्शाते हुये बैचान नामा करके वादीगण को बेदखल करवाकर रहेंगे अगर ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादीगण के जायज हक अधिकारों पर बेज्या कुठाराधात होगा। अपूर्णिय क्षति वादीगण हो होगी अनावश्यक पेचीदगीया बढकर वादीगण को होगी इसलिये मजबुरन यह वाद स्पष्ट खातेदारी व कब्जे के लिये स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नप्रकार से है:-

ग्राम राणासर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 223 रकबा 1.72 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं0 706 रकबा 0.05 है0कुल रकबा 2.33 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं0 139 रकबा 3.21 है0 में दक्षिणी तरफ की 1.8250 है0 कुल 4.1550 है0 का वादीगण बहिस्सा बराबर से व खसरा नं0 139 में उत्तरी तरफ की 1.3850 है0 का प्रतिवादीगण काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 22.10.13 को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 की ओर से वकील श्री श्यामसुन्दर उपस्थित बकाया की तलबी दिनांक 10.12.13 को जरीये अखबार शाया होकर शामिल मिसल होने से दिनांक 04.03.14 को प्रतिवादी सं0 4,6,7,8,10,11 गैर हाजीर होने पर इकतरफा की गई। प्रतिवादी सं0 9 कर ओर से वकील श्री श्यामसुन्दर उपस्थित। प्रतिवादी सं0 1,2,3,5 की ओर से जबाब पेश किया शामिल मिसल है। दिनांक 04.11.15 को प्रतिवादी सं0 4,6,7 के खिलाफ इकतरफा निरस्त की गई है। दिनांक 28.04.16 को जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बंद किया गया। दिनांक 09.06.17 को तनकी कायम कर शामिल मिसल की गई। दिनांक 21.11.17 को गवाहों के शपथ पत्र ऑर्डर 18 नियम 4 सीपीसी में पेश किया, शामिल मिसल है, शेष गवाह पेश नहीं करने पर गवाह वादी बंद की गई। वकील प्रतिवादी ने जिरह हेतु समय चाहा। दिनांक 11.06.18 को वादी के गवाहों से जिरह कर जिरह समय बंद किया जाकर गवाह प्रतिवादी रखी गई। दिनांक 22.06.18 को गवाह प्रतिवादी उपस्थित, शपथ पत्र पेश किये, वकील वादी ने जिरह की और गवाह पेश नहीं करने पर गवाह प्रतिवादी बंद की गई। वकुलाय उपस्थित वकुलाय ने बहस सुनाई, वकील वादी ने अपनी बहस में वादी के वाद पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार करते हुये एवं प्रतिवादी सं0 1,2,3,5 के जबाब को नकारते हुये बहस सुनाई, बहस में कथन किया की ग्राम राणासर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 223 रकबा 1.72 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं0 706 रकबा 0.05

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है0कुल रकबा 2.33 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं0 139 रकबा 3.21 है0 में दक्षिणी तरफ की 1.8250 है0 कुल 4.1550 है0 का वादीगण बहिस्सा बराबर से व खसरा नं0 139 में उत्तरी तरफ की 1.3850 है0 का प्रतिवादीगण काबिज खातेदार कृषक है। उक्त सम्पूर्ण भूमि स्व0 श्री रामेश्वर लाल जी के बंट में रही इसकी एक लिखावट भी चुन्नीलाल जी के पुत्रों द्वारा दिनांक 21.07.1981 को रामेश्वर लाल जी को लिख दी। अपने हस्ताक्षरों से निर्धारित कर दी थी। जो सम्पूर्ण भूमि रामेश्वर जी के कब्जाकाश्त में रही। उनके वाद अब वादीगण के भौतिक कब्जाकाश्त में है। उक्त बंटवारा के समय करते समय गावं के अगुणा खेत सड़क मार्ग पर था इस सड़क मार्ग से पूर्वी व पश्चिमी तरफ की उपरोक्त खसरा नं0 223, 405, 706 की भूमि अवस्थित रही है। काश्त की सुरक्षा के खर्चे से डरते हुये चुन्नीलाल जी के वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 11 खसरा नं0 139 में अपना 1/4 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि एक जगह ले ली थी। वादीगण ने अपनी भूमि की सुरक्षार्थ खसरा नं0 705, 706 के पूर्वी तरफ व खसरा नं0 223 के पश्चिमी तरफ तारबंदी कर रखी है तथा खसरा नं0 705, 706 के पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी तरफ व खसरा नं0 223 के पूर्वी उत्तरी दक्षिणी तरफ डोल लगाकर काटे की तारबंदी कर रखी है। उपरोक्त बंटवारा अनुसार मौके पर प्रतिवादीगण व स्व0 रामेश्वरलाल जी काबिज रहे है। जिस पर अब वादीगण काबिज है। रिकार्ड की उक्त जानकारी होने पर वादीगण ने पूर्व किये गये बंट व कब्जा काश्त अनुसार खाता दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो इतने दिन आश्वासन देते रहे तथा अब भूमिया भूमाफियों को बहकावे में आकर इंकार करना शुरू कर दिया है तथा दिनांक 17.01.2013 को प्रतिवादीगण ने धमकी दे दी है कि वे खाता दुरूस्ती नहीं कराकर सम्मिलित खाते के अंकन के आधार पर खसरा विशेष का स्पेसिक पोंसन दर्शाते हुये बैचान नामा करके वादीगण को बेदखल करवाकर रहेंगे अगर ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादीगण के जायज हक अधिकारों पर बेज्या कुठाराधात होगा। अपूर्णिय क्षति वादीगण हो होगी अनावश्यक पेचीदगीया बढकर वादीगण को होगी इसलिय वाद पेश कर ग्राम राणासर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 223 रकबा 1.72 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं0 706 रकबा 0.05 है0कुल रकबा 2.33 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं0 139 रकबा 3.21 है0 में दक्षिणी तरफ की 1.8250 है0 कुल 4.1550 है0 का वादीगण बहिस्सा बराबर से व खसरा नं0 139 में उत्तरी तरफ की 1.3850 है0 का प्रतिवादीगण काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें एवं उपर्युक्त खसरा नं0 खसरा नं0 139,223,705,706 में वादीगण के 4.1550 है0 भूमि कब्जाकाश्त व अधिकारों में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं डाले। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण फरमाई जावें।

वकील प्रतिवादी सं0 1,2,3 व 5 ने अपने जबाब मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुये वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया की ग्राम राणासर में स्थित खेत खसरा नं0 705,706, 223 व 139 रकबा 5.54 है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की कब्जासुदा, खातेदारी सुदा अव्यस्थित है। उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भू विभाजन के तहत खसरा नं0 705,706 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.61 है0 व खसरा नं0 139

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

के उत्तरी तरफ की भूमि रकबा 0.775 है0 प्रतिवादी सं0 1 ता 11 के बंट व हकहिस्से में व खसरा नं0 223 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.72 है0, खसरा नं0 139 के दक्षिणी तरफ की भूमि रकबा 2.435 है0 वादीगण बंट व हक हिस्से में देकर डिक्री बहक प्रतिवादीगण विरूध वादीगण के फरमाई जावें। जिसकी ताहित के लिये गवाह शपथ पत्र पेश किये हुये है।

वकुलाय की बहस सुनी, वकुलाय की बहस एवं वादी का वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजात, लिखित दिनांक 21.07.1981, प्रतिवादीगण सं0 1,2,3 व 5 का जबाब एवं संलग्न शपथ पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मय जिरह व तनकीयात का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस का मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है की वाद में तनकी कायम की हुई है जिस पर वाद का निर्णय किया जाना है।

तनकी निम्न प्रकार हैः–

1. आया वादीगण ग्राम राणासर के खसरा नं0 223 रकबा 1.72 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं0 706 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 2.33 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं0 139 रकबा 3.21 है0 में दक्षिणी तरफ की 1.8250 है0 कुल 4.1550 है0 के वादीगण बहिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नं0 139 में उत्तरी तरफ की 1.3850 है0 का प्रतिवादीगण 1 ता 11 काबिज खातेदार कृषक है
2. आया प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ग्राम राणासर के खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 706 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 139 में से 0.775 है0 उत्तरी तरफ कुल 1.3850 है0 भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी है।

   तनकी न0 1 के संबध में वादीगण ने लिखावट दिनांक 21.07.1981 की पेश की एवं गवाह वादी एवं साक्ष्य हेतु मोहनराम व सुखाराम के प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से एवं प्रतिवादीगण सं0 4,6,7 के द्वारा जबाब पेश नहीं करना एवं 8 ता 11 गैरहाजीर होने से यही प्रतित होता है कि इनके आज से करीबन 35–40 वर्ष पूर्व बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है व अपनी भूमि पर तारबंदी कर पिछले 40 वर्षों से कब्जाकाश्त कर रहे है यह तथ्य लिखावट दिनांक 21.07.1981 से साबित होने से तनकी न0 1 वादीगण के पक्ष में होना प्रतित होती है।

   तनकी नं0 2 प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11 में से 1,2,3 व 5 ने ही जबाब पेश किया है एंव गवाहों में गवाह धन्नाराम उर्फ धनराज प्रतिवादी सं0 1, नोरतमल पुत्र चुन्नीलाल प्रतिवादी सं0 2, रूधराज पुत्र चुन्नीलाल प्रतिवादी सं0 5, शिम्भुलाल पुत्र चुन्नीलाल प्रतिवादी सं0 7, नर्बदा देवी पत्नी रामाकिशन प्रतिवादी सं0 8, नागरमल पुत्र रामाकिशन प्रतिवादी सं0 9 जो स्वयं प्रतिवादीगण है गवाह के रूप में खेत के पडौसी या अन्य गवाह का शपथ पत्र पेश नहीं किया है एवं नही कोई सबुत पेश किये है जिससे प्रतिवादीगण की तनकी नं0 2 साबित हो सके। इसलिये प्रतिवादीगण सं0 1,2,3 व 5 तनकी नं0 2 को सबुतों के अभाव में साबित करने में असफल रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अतः वादीगण के वाद पत्र में कायमी तनकी वादीगण के पक्ष में साबित होना प्रतित होने से वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम राणासर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 223 रकबा 1.72 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 705 रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं0 706 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 2.33 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं0 139 रकबा 3.21 है0 में दक्षिणी तरफ की 1.8250 है0 कुल 4.1550 है0 का वादीगण को बहिस्सा बराबर से क्रमशः ओमप्रकाश, राजेन्द्रप्रसाद, अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति ब्राहमण निवासी कुचमनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खसरों में वादीगण का नाम हटाया जाता है, शेष खाता यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प डयूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 16/07/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)